UPSR010010782026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) – उच्चतर **न्यायिक सेवा – UP06330**

जमानत आवेदन पत्र संख्या–414/2026

रामजस पाल उम्र 40 वर्ष पेशा मजदूरी पुत्र हनुमान प्रसाद, निवासी खरगौरा, थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती। ... .प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश .....अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–230/2026

धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट

थाना–भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

दिनांक–01.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र प्रार्थी/अभियुक्त रामजस पाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी विवेक कुमार राठौर उपनिरीक्षक एवं उनके हमराहियों द्वारा दिनांक–23.05.2026 को समय 00.45 बजे वहद स्थान हरिहरपुर रानी मोड़ के पास, थाना भिनगा, जनपद–श्रावस्ती में प्रार्थी/अभियुक्त को 01 किलो 72 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के पास गांजा रखने का लाइसेंस नहीं था इसलिए उसके विरूद्ध वादी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या –230/2026 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना– भिनगा, जनपद–श्रावस्ती पंजीकृत कराया गया।

3– जमानत आवेदन पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त ने यह कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। संलग्न शपथ पत्र जिसे शपथी शिवकुमार जो कि अभियुक्त का पिता व पैरोकार मुकदमा है, के द्वारा इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त फर्जी तरीके से फंसा दिया गया है।

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.06.01 16:10:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं है। सच्चाई यह है कि प्रार्थी /अभियुक्त तथाकथित घटना वाले दिन ग्राम मुरचहवा, थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती में अपने रिश्तेदारी के अंतिम संस्कार में गया था। वापस लौटते समय पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को पकड़कर सीधे थाने ले गयी और करीब 1 दिन थाने पर रोके रहने के पश्चात् फर्जी तरीके से चालान कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्त एक विकलांग व्यक्ति है। प्रार्थी /अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तथाकथित बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में दौरान न्यायालय का सहयोग करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की याचना है।

4– राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस० एक्ट) द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया कि प्रार्थी /अभियुक्त के कब्जे से गांजा की बरामदगी है। एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया है। अपराध समाज को प्रभावित करने वाला है। अतः जमानत आवेदन खारिज किये जाने की याचना है।

5– मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस० एक्ट) की बहस को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

6– केस डायरी में उपलब्ध फर्द के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 72 ग्राम नाजायज गांजा की बरामदगी दिखायी गयी है जो वाणिज्यिक मात्रा का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है, परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करने को तैयार है।

7– अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में गुणदोष पर अंतिम निष्कर्ष दिये बिना ही प्रार्थी/अभियुक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8– प्रार्थी/अभियुक्त **रामजस पाल** का जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या– 230/2026, धारा–8/20 एन० डी० पी० एस० एक्ट, थाना– भिनगा, जिला–श्रावस्ती के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु० 35,000/– रुपये का स्वबंध पत्र, समान धनराशि की दो प्रतिभू व प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित आकर विचारण में सहयोग करने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाता है।

दिनांक–01.06.2026

(अमित कुमार प्रजापति)

अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।